परिपत्र संख्या–17/अध–3(2)/87/से0नि0पेंशन निर्धारण/2020

प्रेषक,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 19 अगस्त, 2021

विषयः– जेल वार्डर/हेड जेल वार्डर के उच्चीकृत ग्रेड वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में।

जेल वार्डर संवर्ग के उच्चीकृत ग्रेड वेतन में वेतन निर्धारण सम्बन्धी उत्पन्न हो रही वेतन विसंगतियों के दृष्टिगत अधिक/अनियमित भुगतान की वसूली/समायोजन की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु मुख्यालय स्तर से परिपत्र संख्या–09/अध–3(2)/87/से0नि0पेंशन निर्धारण/2020, दिनांक 15.06.2020 निर्गत किया गया।

उक्त परिपत्र के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या–15153/20 श्री ठाकुर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या–50/एस0एस0/21 श्री बृज भूषण पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या–1014/21 श्री विजय प्रकाश सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या–1029/21 श्री उम्मेद सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या–985/21 श्री भोला नाथ भारती बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या–975/21 श्री रामचन्द्र तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या–1603/21 श्री हनुमान प्रसाद तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या–2268/21 श्री चितरंजन प्रसाद श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या–2894/21 श्री बैजनाथ मिश्रा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या–2911/21 श्री भागीरथ सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या–2910/21 श्री जगत देव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या–2994/21 श्री समशुद्दीन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या–3100/21 श्री राजेन्द्र यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या–3558/21 श्री सत्यराम वर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या–7432/एस0एस0/21 श्री विन्ध्याचल पाठक व 01 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या–2896/21 श्री यासीन खान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या–3591/21 श्री चौधरी यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या–8120/21 श्री रमेश राय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या–8122/21 श्री सरोज राम बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या–8121/21 श्री रामनाथ सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इन रिट याचिकाओं को स्वीकार/निस्तारित करते हुये मुख्यालय स्तर से निर्गत परिपत्र दिनांक 15.06.2020 को इन कार्मिकों के प्रकरण में अपास्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त कुछ अन्य कार्मिकों द्वारा रिट याचिकाएं योजित की जा रही हैं।

प्रकरण में मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से विधिक परामर्श प्राप्त किया गया। मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 05.08.2021 द्वारा निम्न विधिक परामर्श उपलब्ध कराया गया हैः–

We have perused the order (S) of the Hon'ble court as well as records of the cases. It appears from the orders passed by the Hon'ble court that the writ petitions were allowed on the ground that before passing the impunged order(S) the department has not provided the opportunity to the petitioner(S) by providing notice. Therefore, the Hon'ble court has allowed the writ petitions and liberty has also given to the Department to proceed in the matter afresh in accordance with law and the requirement of principle of natural justice.

–/2–

In view of the above, it is our considered opinion to issue notices to all the petitioners stating therein the complete facts and also invite explanations from them and after hearing the petitioners, you may pass fresh order, in accordance with law as directed by this Hon'ble court.

उपरोक्त तथ्यों के सम्यक् विचारोपरान्त जेल वार्डर संवर्ग के कार्मिकों द्वारा योजित उपरोक्त रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय के पारित आदेशों के समादर में मुख्यालय स्तर से निर्गत परिपत्र संख्या–09/अध–3(2)/ 87/से0नि0पेंशन निर्धारण/2020, दिनांक 15.06.2020 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशों के समादर में प्रकरण से आच्छादित कार्मिकों का पक्ष सुनकर मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली के State of Punjab & others Vs Rafiq Masih (White washer) & others (2015)4 SSC 334 में पारित आदेश एवं शासनादेश संख्या–60/2016–वे0आ0–2–1375/ दस–2016, दिनांक 21.11.2016 के अनुसार Case by Case सम्यक् अनुश्रवण करने के पश्चात विधि सम्मत् निर्णय लिया जाये।

यह परिपत्र पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

10/8/21

(शैलेन्द्र कुमार मैत्रेय)
उप महानिरीक्षक(मु0),
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।

परिपत्र पृष्ठांकन संख्या: /अध–3(2)/87/से0नि0पेंशन निर्धारण/2020, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. वित्त नियंत्रक, मुख्यालय।
2. वरिष्ठ अधीक्षक, मुख्यालय।
3. प्रशासनिक अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ, मुख्यालय।

(शैलेन्द्र कुमार मैत्रेय)
उप महानिरीक्षक(मु0),
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।